संख्या-2/2015/197/53-15-2(45)/14

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी
आगरा, रामपुर, मेरठ, कानपुर, अम्बेडकरनगर, जालौन।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊ:दिनांक- 11 फरवरी, 2015

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (राज्य सेक्टर-सामान्य) अनुदान संख्या-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग के पत्रांक-545/दुग्ध-4/नियो0/एएमसीयू-सा0 (172)/2014-15, दिनांक-22.01.2015 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2298/53-14-2(45)/14, दिनांक-21 नवम्बर, 2014 द्वारा आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट योजनान्तर्गत (राज्य सेक्टर-सामान्य) अनुदान संख्या-16 (राज्य सेक्टर-सामान्य) में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 में आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-16 (राज्य सेक्टर-सामान्य) में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) में से द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय **संलग्नक-क** के अनुसार स्वीकृत करते हुए सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु है। धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में व्यय की जायेगी। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(3) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आबंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शार्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होगें।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेगे।

(5) इस योजना में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसासर कार्यक्रम संचालित किये जायेगें।

(6) दवाओं आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार ही किया जयेगा।

(7) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का

http://shasanadesh.up.nic.in

होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बहीखाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगें।

(8) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-**'2404-डेरी विकास-आयोजनागत-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम-0303-आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-बी.-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या-197(1)/53-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- सम्बन्धित मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
14- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>शासनादेश संख्या-197/53-15-2(45)/14, दिनांक- 11 फरवरी, 2015 का संलग्नक- 'क'</u>

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट' योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (राज्य सेक्टर)।

(सामान्य) (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	नाम जनपद	आहरण वितरण अधिकारी/ निर्वतन अधिकारी का पदनाम	ए0एम0सी0यू0 (दर 1.25 लाख का 80%=1.00 लाख)	
			संख्या	कुल धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	आगरा	दु0वि0अ0, आगरा	5	5.000
2	अलीगढ़	तदैव	5	5.000
3	मुरादाबाद	उप दु0वि0अ0, रामपुर	5	5.000
4	मुजफ्फरनगर	दु0वि0अ0, मेरठ	5	5.000
5	इटावा	उप दु0वि0अ0, कानपुर	5	5.000
6	औरैया	तदैव	5	5.000
7	सुल्तानपुर	उ0दु0वि0अ0, अम्बेडकरनगर	5	5.000
8	जालौन	उ0दु0वि0अ0, जालौन (उरई)	10	10.000
9	बुलन्दशहर	दु0वि0अ0, मेरठ	5	5.000
	योग		50	50.000

(रू0 पचास लाख मात्र)

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in